न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 53 / 16 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

रामरती पत्नी श्री ऊदल जाति जाटव निवासी बैलारा कलॉ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. शेर सिंह
2. धर्म सिंह } पुत्रगण भदई | जाति जाटव निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. लखमीचन्द
4. राजेन्द्री पुत्री भदई
5. कमल सिंह पुत्र मंगतू जाति जाटव निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 07.01.2013 व 17.06.2015 उनवानी भदई बनाम कमल सिंह मु0न0 03 / 13

उपस्थितिः–

1. श्री सोनीराम शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री महाराज सिंह डागुर वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 14.03.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 07.01.2013 व 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी / रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पिता भदई की ओर से प्रतिवादीगण / रैस्पो0 संख्या 05 व अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आर. टो. एक्ट प्रस्तुत करते हुये, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 07.01.2013 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुय, प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर बाद सुनवाई उभयपक्ष, अपीलाधीन आदश दिनांक 17.06.2015 से पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.01.2013 को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी / अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदादी मिसिल है, जो हर सूरत में काबिल मंसूखी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2920, 2922 में कमल सिंह पुत्र मंगतू का हिस्सा 4/15 था। जिसको उसने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अपीलाण्ट को बेचान कर दिया है तथा वयनामो के रोज से ही अपीलाण्ट आराजी मुतनाजा के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती रही है। इस तथ्य पर अदालत तहत ने कतई विचार नहीं किया करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने, उनकी गैर हाजरी में पारित हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट वक्त बहस जानबूझकर न्यायालय तहत में उपस्थित नहीं हुये थे। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.01.2013 से विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें जाने की पाबन्दी आयद की है एवं आदेश दिनांक 17.06.2015 को उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया है। हम पाते हैं कि उक्त आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने, एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड वयनामा से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी कमल सिंह पुत्र मंगतू से, उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से 4/15 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है। अतः अपीलाण्ट विवादित आराजी का सद्भावी क्रेता है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश के रहते, उनका विवादित आराजी में नामान्तकरण रूका हुआ है। लिहाजा हम अपील, नामान्तकरण खोलने की सीमा तक स्वीकार योग्य समझते हैं, शेष आदेश यथावत रहेगा।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.01.2013 व 17.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुये, अपीलाण्ट के नामान्तकरण खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाकर, शेष आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर